

I/147866/2022

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या- /तीन-2022-39(2)/12टीसी
लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2022

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-514/तीन-2021-39(2)/2016 दिनांक 20-10-2021 द्वारा वर्ष 2022 हेतु निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें दिनांक 18 मार्च, 2022 को होली का अवकाश घोषित है। उत्तर प्रदेश में 18 मार्च, 2022 के साथ-साथ दिनांक 19 मार्च, 2022 को भी होली का त्योहार मनाया जायेगा। ऐसी स्थिति में निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन दिनांक 19 मार्च, 2022 (शनिवार) को भी होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

Signed by जितेन्द्र कुमार (जितेन्द्र कुमार)
Date: 16-03-2022 11:23:27 प्रमुख सचिव।

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/उ०प्र०।
- 4- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ०प्र०
- 5- निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा० उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
- 6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 7- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 8- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि०) उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।
- 12- उप सचिव एवं संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति से अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
- 14- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 15- कुलपति, डा० सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 16- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई) योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर डालने हेतु।
- 17- क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र० एव उत्तरांचल, भारतीय रिजर्व बैंक गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमे ई। यादव)

अनु सचिव।